रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 1975/माघ 15, 1896

No. 28] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 1975/MAGHA 15, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 4th February 1975

SUBJECT.—*Import of 'dates' [S. No. 21(b)/IV] from Iraq during 1974-75 licensing period on annual basis—Extension in the validity period.*

No 9-ITC(PN)/75.—Attention of importers is invited to paragraph 10 of the Ministry of Commerce Public Notice No. 113-ITC(PN)/74, dated 7th August, 1974 and paragraph 2 of Ministry of Commerce, Public Notice No. 149-ITC(PN)/74, dated 4th October, 1974, in terms of which licences issued for import of 'dates' from Iraq for the period 1974-75 were valid upto 31st December, 1974.

2 On a review of the position, it has been decided that the validity period of unutilized/partialy utilized licences, issued for import of 'dates' from Iraq in terms of the aforesaid Public Notices, may be deemed to have been extended upto 28th February, 1975. No endorsement to this effect is necessary to be made on the licences by the licensing authority concerned. The Customs Authorities will allow clearance within the extended date on the basis of this Public Notice, if the imports are otherwise in order.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 4 फरवरी 1975

विषय :—1974–75 लाइसेंस अवधि के दौरान वार्षिक आधार पर ईराक से खजूरों [क्रम सं० 21 (बी)/4] का आयात-वैधता अवधि में वृद्धि ।

सं० 9–आई०टी०सी० (पी०एन०)/75.—आयातकों का ध्यान वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 113–आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 7 अगस्त, 1974 की कंडिका 10 एवं वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 149–आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 4 अक्तूबर, 1974 की कंडिका 2 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार 1974–75 के लिए ईराक से 'खजूरों' के आयात के लिए जारी किए गए लाइसेंस 31 दिसम्बर, 1974 तक वैध थे ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि उपर्युक्त सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार ईराक से 'खजूरों' के आयात के लिए जारी किए गए अप्रयुक्त/अंशतः प्रयुक्त लाइसेंसों की वैधता अवधि 28 फरवरी, 1975 तक बढ़ाई गई समझी जाए । इस सम्बन्ध में सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा लाइसेंसों पर पृष्ठांकन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि आयात अन्यथा रूप से सही हैं तो सीमा-शुल्क प्राधिकारी इस सार्वजनिक सूचना के आधार पर बढ़ाई गई अवधि के भीतर निकासी की अनुमति दे देंगे ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975